फर्द अहकाम

गेन्दीलाल बनाम मुकेश वगै0

वाद संख्याः 119/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यू0टी0 पेश की गई लेकिन वकालतनामा पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 456 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 0.0700 हैक्टेयर स्थित ग्राम मानपुर भाटावाला, पटवार हल्का मोहनपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित न करें, वादग्रस्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल न करें, वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा न करें तथा उस पर किसी प्रकार का निर्माण आदि न करें, ऐसा न वे स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाता है। वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादी की वाके ग्राम मानपुर भाटावाला, पटवार हल्का मोहनपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 456 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 0.0700 हैक्टेयर का सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह कायम करे। सीमाचिन्ह होने के पश्चात प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वादी की भूमि की सीमा में दखल नहीं करे। निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:52:20 IST
Reason: SelfAttested